

id foKflr

l puzfoHkx| ckjcadh

04 t w| 2019

उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वित्तीय वर्ष 2019-20 में **ed; ea-h ; pk Lojkt xkj ; kt ukUrxZ**, बेरोजगार युवक/युवतियों से उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापना हेतु रू0 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापना हेतु रू0 10.00 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ऐसे व्यक्ति जो हाईस्कूल उत्तीर्ण हो तथा जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो, वे किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, देवा रोड, सोमैया नगर, बाराबंकी से सम्पर्क कर **vfUre frffk 25-06-2019** तक आवेदन कर सकते हैं। योजनान्तर्गत सभी वर्गों हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) देय है।

---

l gk d funskd l puz ckjcadh } kjk t kjh